"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011—आषाढ़ 10, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2011

क्रमांक ई 1-3/2010/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2010-एआईएस (i)-बी, दिनांक 10-05-2011 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	भा.प्र.से. के संवर्गीय पद पर वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय कुमार धुर्वे	10-05-2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री रीता शाण्डिल्य	10-05-2011	उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, अतिरिक्त प्रभार- संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, जशपुर की सेवाएं कृषि विभाग को सौंपते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री जायसवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल साहू, भा.व.से. प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री जायसवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, सहकारिता, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, (मुख्यालय बिलासपुर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री रात्रे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा.प्र.से. (2000) अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, मुख्यालय बिलासपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग एवं संचालक, संपदा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री राम सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000) प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सचिव, राज्य सूचना आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत सचिव, राज्य सूचना आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005) अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री अंकित आनन्द, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008) अनुविभागीय अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-3/2010/1/2 दिनांक 10-06-2011 द्वारा श्री विजय कुमार धुर्वे, भा.प्र.से. को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक श्री धुर्वे को अपर कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2011

क्रमांक 3993/डी-2598/21-बजट/छ.ग./2011.—राज्य शासन, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1 (2)/2011-E-II (B) दि. 24-3-2011 के अनुसार, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए, केन्द्र के समान, दि. 1-1-2011 से 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 203/25982/वित्त विभाग/ब-3/2011, दि. 8-6-2011 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2011

क्रमांक 4004/1692/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अकलतरा, जिला बिलासपुर में, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की स्थापना हेतु, संबंधित न्यायिक जिला स्थापना में, निम्नानुसार कुल 16 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान/वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	-	01
2.	स्टेनोग्राफर	5200-20200	2800	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	प्रस्तुतकार	5200-20200	1900	01
4.	निष्पादन लिपिक	5200-20200	1900	01
5.	आदेशिका लेखक	5200-20200	1900	01
6.	साक्ष्य लेखक	5200-20200	1900	01
7.	कनिष्ठ नायब नाजीर	5200-20200	1900	01
8.	विक्रय अमीन	5200-20200	1900	01
9.	प्रतिलिपिकार	5200-20200	1900	01
10.	दफ्तरी कम फर्राश	4750-7440	1300	01
11.	भृत्य	4750-7440	1300	01
12.	आदेशिका वाहक	4750-7440	1300	02
13.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
14.	वाटरमेन	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
15.	स्वीपर	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
			योग	**16**

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल एवं सत्र न्यायालय, 4497-सामान्य स्थापना, 01-वेतन भत्ते शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 200/17941/वित्त विभाग/ब-3/2011 दिनांक 8-6-2011 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2011

क्रमांक 4005/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, दुर्ग एवं अंबिकापुर में, स्थायी लोक अदालत हेतु, निम्नानुसार स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या	
				दुर्ग	अंबिकापुर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अध्यक्ष (अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर)	51550-1230-58930-1380-63070		1	1
2.	सदस्य	7500/- प्रति सदस्य मानदेय एवं भत्ता प्रतिमाह		2	2
3.	निज सचिव	5200-20200	2800	1	1
4.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	1	1
5.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	2	2
6.	प्रोसेस रायटर	5200-20200	1900	1	1
7.	प्रोसेस सर्वर	4750-7440	1300	2	2
8.	भृत्य	4750-7440	1300	2	2
9.	चौकीदार	4750-7440	1300	1	1
10.	फर्राश/स्वीपर	4750-7440	1300	1	1
			योग	**14**	**14**

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 200-अन्य योजनाएं (आयोजनेत्तर), 3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान, 01-वेतन भत्ते शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 198/32977/वित्त विभाग/ब-3/2011 दिनांक 8-6-2011 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2011

क्रमांक 4006/1811/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भिलाई-3 जिला दुर्ग में, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की स्थापना हेतु, संबंधित न्यायिक जिला स्थापना में, निम्नानुसार कुल 16 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान/वेतन बैंड (3)	ग्रेड वेतन (4)	पद संख्या (5)
1.	सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	-	01
2.	स्टेनोग्राफर	5200-20200	2800	01
3.	प्रस्तुतकार	5200-20200	1900	01
4.	निष्पादन लिपिक	5200-20200	1900	01
5.	आदेशिका लेखक	5200-20200	1900	01
6.	साक्ष्य लेखक	5200-20200	1900	01
7.	कनिष्ठ नायब नाजीर	5200-20200	1900	01
8.	विक्रय अमीन	5200-20200	1900	01
9.	प्रतिलिपिकार	5200-20200	1900	01
10.	दफ्तरी कम फर्राश	4750-7440	1300	01
11.	भृत्य	4750-7440	1300	01
12.	आदेशिका वाहक	4750-7440	1300	02
13.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
14.	वाटरमेन	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
15.	स्वीपर	जिलाध्यक्ष दर पर	-	01
			योग	**16**

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल एवं सत्र न्यायालय, 4497-सामान्य स्थापना, 01-वेतन भत्ते शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 199/31588/वित्त विभाग/ब-3/2011 दिनांक 8-6-2011 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए संचालित योजनाओं में योजना की पात्रता में निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त मिलेगा.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996, सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, दिनांक 04-03-2010 में हितग्राहियों के लिए सामूहिक विवाह योजना, प्रसूति सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

(1) **सामूहिक विवाह योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(ii) योजना के अन्तर्गत रुपये 10,000/- प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रुपये 2,000/- सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह अलग से देय होगी.

(2) **प्रसूति सहायता योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(iii) योजना के प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा, जिसके अनुसार छ: सप्ताह के प्रसूति अवकाश में रुपये 7,000/- एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रुपये 3,000/- की सहायता देय होगी.

(3) **छात्रवृत्ति योजना :—**

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत सभी पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी तथा कक्षा 8वीं से ऊपर की परीक्षाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों, को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक एफ 10-9/2011/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों

को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

संजीवनी एम्बुलेंस योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "संजीवनी एम्बुलेंस योजना, 2011" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु मण्डल द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदाय की जावेगी.

(iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा.

(iv) योजना के प्रावधान मण्डल बैठक दिनांक 30-04-2010 को हुये निर्णय से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय की स्वीकृति का अधिकार स्थानीय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को होगा.

(द) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक एफ 10-10/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम 1982 की धारा 2 की उपधारा (3) (ख) में निम्नानुसार संशोधन कर अधिसूचना जारी करती है :—

(ख) जो, पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, एक हजार छ: सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी लेता है या जो, उसके पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण, या अपने में निहित शक्तियों के कारण, ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रकृति के हैं,

के स्थान पर "जो पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए दस हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी लेता है या जो, उसके पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रकृति के हैं" स्थापित करती है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2011

क्रमांक एफ 10-11/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के नियम 1984 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नियम 15 में निम्नानुसार संशोधन कर अधिसूचना जारी करती है :—

15. **निधि में से भुगतान करने का ढंग—**निधि में से भुगतान —

(क) जहां देय रकम रुपये 250 से कम हो नगद में किया जायेगा और के स्थान पर "जहां देय रकम रुपये 5,000 से कम हो नगद में किया जायेगा" और

(ख) जहां देय रकम रुपये 250 से अधिक हो, वहां बैंक ड्राफ्ट या कल्याण आयुक्त द्वारा जारी किये गये चेक से किया जायेगा.

के स्थान पर "जहां देय रकम रुपये 5,000 से अधिक हो वहां बैंक ड्राफ्ट या कल्याण आयुक्त द्वारा जारी किये गये चेक से किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/एफ 1-23/11/स.क./26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती हैं :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के अध्यक्ष (4)
1.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्रीमती नीरू सिंह, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-दो एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर-चांपा.
2.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	श्रीमती धनेश्वरी सिदार, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम.
3.	कोरबा	कोरबा	श्री जी. तिर्की, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा.
4.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	उत्तर बस्तर (कांकेर)	श्रीमती सत्याभामा अजय दुबे, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर.

No. F 1-23/11/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following First Class Judicial Magistrates as the Chairmen of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Chairman of the Board (4)
1.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Smt. Neeru Singh, II CJ-II & JMFC, Janjgir-Champa.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Kabeerdham (Kawardha)	Kabeerdham (Kawardha)	Smt. Dhaneshwari Sidar, I CJ-I & CJM, Kabeerdham.
3.	Korba	Korba	Shri G. Tirky, I CJ-I & CJM, Korba
4.	Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)	Smt. Satyabhama Ajay Dubey, I CJ-I & CJM, Uttar Bastar, Kanker.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-41/2011/स.क./26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के अध्यक्ष (4)
1.	धमतरी	धमतरी	कु. संघपुष्पा भतपहरी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी.
2.	दुर्ग	दुर्ग	श्रीमती ममता शुक्ला, अष्टम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-दो एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग.
3.	कोरिया स्थान-बैकुण्ठपुर	कोरिया स्थान-बैकुण्ठपुर	श्री आर. एस. तनवर, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरिया स्थान-बैकुण्ठपुर.
4.	महासमुंद	महासमुंद	कु. रन्जु राऊतरॉय, तृतीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुंद.
5.	रायगढ़	रायगढ़	श्रीमती हिमांशु जैन, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-दो एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़.

No. F 7-41/2011/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following First Class Judicial Magistrates as the Chairmen of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Chairman of the Board (4)
1.	Dhamtari	Dhamtari	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, II Civil Judge Class-I & JMFC, Dhamtari.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Durg	Durg	Smt. Mamta Shukla, VIII, Civil Judge Class-II & JMFC, Durg.
3.	Koriya at Baikunthpur	Koriya at Baikunthpur	Shri R. S. Tanwar, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Koriya at Baikunthpur.
4.	Mahasamund	Mahasamund	Ku. Ranju Rautrai, III Civil Judge Class-I & JMFC, Mahasamund.
5.	Raigarh	Raigarh	Smt. Himanshu Jain, I Civil Judge Class-II & JMFC, Raigarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक/2284/एफ-10-09/बीज/2010/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त आदेश के प्रयोजन के लिये कृषि संचालनालय में पदस्थ "संचालक कृषि" को कृषि फसलों के बीज हेतु तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में पदस्थ "संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी" को उद्यानिकी फसलों के बीज हेतु, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारिता के भीतर अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

No./2284/F-10-09/seed/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause 16 of the seed (Control) order, 1983 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955), the State Government hereby, appoints the "Director Agriculture" posted at Directorate of Agriculture for Agriculture crop seed And "Director Horticulture and Farm Forestry" posted at Directorate of Horticulture and Farm Forestry for Horticulture crop seed as the Appellate authority within their jurisdiction of whole State of Chhattisgarh for the purposes of the said order.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक/2286/एफ-10-09/बीज/2010/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये **बीज** (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा कॉलम (4) में

यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	अपर संचालक कृषि, संचालनालय कृषि	तत्संबंधी राज्य	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
2.	संयुक्त संचालक उद्यानिकी, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी.	तत्संबंधी राज्य	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
3.	जिले के समस्त उप संचालक कृषि	तत्संबंधी जिला	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
4.	जिले के समस्त उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान.	तत्संबंधी जिला	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.

No./2286/F-10-09/seed/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred under clause 11 of the Seed (Control) order, 1983 issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955), and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government, hereby appoints the officer specified in column (2) of the Schedule below as licensing Officer to exercise the powers within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
1.	Additional Director of Agriculture. Director of Agriculture.	Respective State	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
2.	Joint Director of Horticulture, Director of Horticulture and Farm Forestry.	Respective State	Issuing of License for sale of Horticulture Crop Seeds.
3.	All Deputy Director of Agriculture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Agriculture Crop Seeds.
4.	All Deputy Director of Horticulture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for sale of Horticulture Crop Seeds.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव	1.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2011

क्रमांक 13/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोंड़ी	2.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-स

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2960/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	चौगेल	0.02	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2963/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भैंसमुण्डी	0.32	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2966/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	घोड़ाबत्तर	0.28	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2969/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	केंवटी	1.61	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2972/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	टेकाढोड़ा	0.35	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2975/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	0.03	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2978/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	चिचमर्रा	1.58	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

कांकेर, दिनांक 30 मई 2011

क्रमांक/2981/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	लामपुरी	0.26	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर.	दल्लीराजहरा से रावघाट रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/47/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	तुमगांव प. ह. नं. 136/83	0.057	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	कोडार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक/4120/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21	0.053	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	महरूटोला-रामपुर मार्ग पर महरूम नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक/4121/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गोडलवाही प. ह. नं. 42	0.125	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव.	करमरी, मटिया, उमरवाही मार्ग निर्माण में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/4200/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	सेम्हरबांधा प. ह. नं. 20	3.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मोंगरा एनीकट के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/4201/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	कातुलवाड़ा प. ह. नं. 20	11.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मोंगरा एनीकट के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/4202/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	दुल्लापुर प. ह. नं. 10	0.11	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा.	कर्रानाला बैराज, परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	फरसगांव	पांसगी	0.687	कार्यपालन अभियन्ता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	सेतु निर्माण पांसगी योजना अन्तर्गत भंवरडीग नदी सेतु कि.मी. 5/10 के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक/211/भू-अर्जन/वाचक/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खांने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	कारीपाट प. ह. नं. 15	51	0.065	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, निर्माण संभाग, कसडोल.	अर्जुनी व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य हेतु.
			63/1	0.016		
			63/2	0.016		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			71	0.105		
			72/2 क	0.222		
			109/1	0.018		
		योग	6	0.442		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	झींका प.ह.नं. 11	1.76	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	कचंदा से झींका मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 जून 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	जगदल्ला प.ह.नं. 3	0.13	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	जगदल्ला कुरदा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 जून 2011

क्रमांक 9075 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	हेड़सपुर प.ह.नं. 31	471.31	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	तारकेश्वरपुर	14.77	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	कोतल	3.91	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	श्यामपुर	8.33	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	जयपुर	0.27	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	दवना	16.93	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	वृन्दावन	15.37	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	पतरापाली	2.29	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	सूरता	26.17	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	शिवनगर	3.41	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	अक्षयपुर	3.02	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राये में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	परशुरामपुर	15.61	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	सरईपारा	6.36	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनन्जय, कलेक्टर एवं पदेन उप-स

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्रमांक 08/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पहाड़बछाली, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1 ठ/2	0.62
4/5	1.50
7/8	0.11
53	0.30
1/1 ठ/3	0.63
1/1 ट/1	1.74
1/2	0.20
1/1 ञ	1.00
9/1	0.05
4/6	0.34
4/12	0.11
4/17	0.06
1/1 ठ/4	0.62
1/1 ट/2	1.00
4/4	0.15
4/9	0.66
10/1	0.10
7/6	0.07
11/4	0.28
2	0.35
1/1 ठ/1	0.63
योग	10.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डाडबछाली जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्रमांक 9/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-रूमगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
190/1	0.04
244/5	0.13
578/2	0.09
308/3	0.20
361/2	0.10
243/2	0.04
590	0.03
587/1	0.27
170/1	0.05
243/1	0.04
97/2	0.23
302	0.27

(1)	(2)
363/1	0.11
363/2	0.10
244/2	0.18
306	0.26
190/2	0.03
172	0.03
577	0.11
578/1	0.09
189/1	0.08
342	0.17
योग 22	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 10/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मटियाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
125/1	0.14
85/16	0.17
384/2, 385	0.03
404	0.05
391/1	0.07
390	0.07
392	0.14
228/1	0.18
251/1	0.24
387/2	0.16
291/1	0.28
291/3	0.34
128/3	0.14
405	0.37
229	0.21
126/1, 127/1	0.04
359/4	0.11
393	0.01
291/4	0.18
291/5	0.18
287/1	0.81
89/2	0.03
187/2, 200	0.17
90	0.17
89/6	0.03
129	0.26
89/3, 85/14	0.17
योग 27	4.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 26/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गिरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
52/1	0.39
53	0.16
70/3	0.84
70/4	0.34
152	0.22
86/1	0.24
86/2	0.30
70/1	0.32
91/2	0.08
70/2	0.10
71	0.53
76	2.30
86/3	0.24
90	0.54
91/1	0.80
67/2	0.11
68/2	0.04
85	1.00
87	1.38
14/1	0.78
14/2	0.35
24	4.69
25	0.34
26/1	3.35
26/2	1.49
योग 22	20.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपरखुज्जी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 जून 2011

क्रमांक/4005/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हालमकोड़ो, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
55/1	0.26
56/1	0.27
57/2	0.23
60/2	0.07
54/4	0.10
59	0.30
54/2	0.15
100/1	0.18
122/2	0.21
100/3	0.17
100/4	0.05
122/5	0.17
122/7	0.12
122/9	0.15
139	0.13
138	0.50
137/1	0.14
137/4	0.26
136/1	0.12
134/2, 152	0.40
134/3-4	0.13

	(1)	(2)
	134/2	0.28
	132/1	0.20
	132/2	0.25
	132/3	0.20
	132/4	0.20
	131/1	0.15
	131/2	0.10
योग	29	5.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के केनाल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 जून 2011

क्रमांक/4006/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरीनवागांव, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.155 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	156/1	0.121
	398/1	0.251
	414/2	0.044
	415/1	0.081
	214/2	0.036
	248/1	0.231
	215/2	0.178
	221/3	0.081
	336/1	0.121
	305/1	0.202
	209/3	0.202
	158/2	0.202
	409/1	0.235
	81/1	0.041
	388/1	0.020
	405/2	0.109
योग	16	2.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज मुख्य नहर निर्माण हेतु. अनुपूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्रमांक 21/क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-औराईकला प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
961/1/ढ	0.12
961/1/थ	0.03
961/1/ड/1, 961/1/च/1	0.18
961/1/ड/2, 961/1/च/2	0.03
961/1/ड/4, 961/1/च/3	0.01
973/5	0.12
1014/1	0.29
1014/2	0.29
1014/3	0.15
965	0.39
966	0.57
967	0.50
973/6	0.27
961/1/छ	0.30
973/1	0.21
973/2	0.36
973/3	0.21
973/4	0.04
1019/10	2.75
1016/1	0.23
1015/4, 1017/6, 1019/12	0.40
1017/1	0.35
1017/5	0.08
1015/1, 1015/2, 1015/3, 1017/2, 1017/3, 1019/8	0.11
1015/5, 1017/7, 1019/13	0.18
योग 25	8.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मड़वा तेंदूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक/6505/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरपारा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-40.713 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1602	0.028
1603	0.162
1610	0.299
1611/1	0.166
1611/2	0.166
1611/3	0.053
1619	0.267
1621	0.134
1622	0.138
1623/1	0.089
1623/2	0.130
1623/3	0.125
1623/4	0.093
1623/5	0.121
1623/6	0.134
1623/7	0.085
1624/1	0.227
1624/2	0.227
1625	0.138
1626	0.486
1628	0.170
1629	0.259
1630	0.121
1631	0.198
1632/1	0.186
1632/2	0.186
1632/3	0.190
1633/1	0.081
1633/2	0.121
1634/1	0.158
1634/2	0.121
1635/1	0.138
1635/2	0.036
1635/3	0.101
1636/1	0.004
1636/2	0.344
1637	0.384

(1)	(2)
1638	0.194
1639	0.190
1640/1	0.235
1640/2	0.138
1641/1	0.065
1641/2	0.040
1644	0.065
1645/1	0.223
1645/2	0.045
1645/3	0.138
1646	0.295
1647	0.150
1648	0.061
1649	0.045
1650/1	0.073
1650/2	0.073
1650/3	0.028
1651/1	0.036
1651/2	0.121
1654/1	0.688
1654/2	0.405
1655	0.170
1656	0.162
1657	0.121
1658	0.235
1659	0.121
1660/1	0.109
1660/2	0.061
1661	0.243
1662	0.040
1663	0.057
1664/1	0.202
1664/2, 1665/1	0.320
1664/3, 1665/2	0.324
1666	0.138
1667	0.154
1668/1	0.045
1668/2	0.032
1668/3	0.020
1669	0.077
1670/1	0.235
1670/2	0.231
1670/3	0.174
1671/1	0.130
1671/2	0.130
1672	0.166
1673/1	0.053
1673/2	0.081
1674	0.032
1675	0.194
1676/1	0.308
1676/2	0.150
1676/3	0.206
1677/1	0.069
1677/2	0.348
1679	0.340
1680/1	0.328
1680/2	0.206
1680/3	0.077
1681	0.028
1682/1	0.405
1682/2	0.320
1682/3	0.166
1682/4	0.312
1682/5	0.170
1683/1	0.271
1683/2	0.170
1684	0.154
1685	0.648
1686	0.219
1687	0.182
1688	0.089
1689/1	0.061
1689/2	0.057
1690	0.146
1692/1	0.045
1692/2	0.045
1693/1	0.012
1693/2	0.012
1694	0.065
1695/1	0.109
1695/2	0.105
1695/3	0.109
1696	0.202
1697	0.105
1698	0.162
1699	0.146
1700/1	0.012
1700/2	0.134
1700/3	0.194
1701	0.409
1702	0.162
1703	0.194
1704/1	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
1704/2	0.089	1736, 1737	0.239
1704/3	0.020	1738	0.073
1705	0.332	1739	0.057
1706	0.049	1740/1	0.166
1707	0.186	1740/2	0.389
1708	0.101	1740/3	0.061
1709	0.049	1740/4	0.166
1710	0.057	1804	0.004
1711	0.024	1806/1	0.105
1712	0.146	1806/2	0.049
1713/1	0.061	1807	0.138
1713/2	0.117	1808	0.057
1714/1	0.081	1809	0.223
1714/2	0.081	1810	0.130
1715	0.210	1811/1	0.324
1716/1	0.190	1811/2	0.308
1716/2	0.150	1812	0.101
1717	0.300	1813/1	0.239
1718	0.117	1813/2	0.117
1719	0.121	1814	0.251
1721	0.547	1815/1, 1816/2	0.053
1722	0.077	1815/2	0.162
1723	0.117	1816/1	0.077
1724	0.117	1817	0.158
1725/1	0.146	1818	0.308
1725/2	0.049	1819	0.057
1726	0.105	1820/1	0.061
1727/1	0.105	1820/2, 1820/3, 1820/6	0.364
1727/2	0.057	1820/4	0.105
1727/3	0.130	1820/5	0.478
1727/4	0.057	1820/7	0.162
1728/1	0.113	1820/8	0.105
1728/2	0.121	1820/9	0.162
1728/3	0.109	1822/1	0.020
1728/4	0.097	1822/2, 1822/3	0.040
1728/5	0.109	1824	0.121
1728/6	0.130	1825/1	0.061
1728/7	0.275	1825/2	0.061
1728/8	0.138	1826/1	0.053
1729	0.898	1826/2	0.053
1730/1	0.465	1826/3	0.057
1730/2	0.304	1827/1	0.142
1731	0.243	1827/2	0.142
1732	0.384	1828/1	0.081
1733	0.142	1828/2	0.162
1734	0.907	1829/1	0.049
1735	0.753	1829/2	0.486

(1)	(2)
1829/3	0.032
1830	0.101
1832/1, 1833/1	0.579
1832/2, 1833/2	0.162
1832/3, 1833/3	0.429
1832/4, 1833/4	0.219
1834	0.113
1835	0.364
1836	0.138
1837/1	0.210
1837/2, 1839	0.368
1837/3	0.316
1837/4	0.053
1838	0.202
1840	0.121
योग 240	40.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक/6580/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेली, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-201.100 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
139	0.121
140	0.081
141	0.805
142	0.081
143	0.085
144/1	0.158
144/2	0.121
144/3	0.113
144/4	0.121
145	0.583
146/1	0.210
146/2	0.267
146/3	0.210
146/4	0.210
146/5	0.206
146/6	0.210
146/7	0.210
147/1	0.073
147/2	0.069
147/3	0.142
148/1	0.198
148/2	0.040
148/4	0.089
148/5	0.308
148/6	0.012
148/7	0.040
149/1	0.611
149/2	0.607
150	0.502
151/1	0.101
151/2	0.101
151/3	0.101
151/4	0.101
152	0.817
153/1	0.077
153/2	0.077
154/1	0.121
154/2	0.154
154/3	0.304
155/1	0.235
155/2	0.154
155/3	0.178
155/4	0.138
155/5	0.619

(1)	(2)	(1)	(2)
155/6	0.101	280/7	0.117
155/7	0.214	280/8	0.388
155/8	0.194	286	0.445
155/9	0.227	287	0.445
155/10	0.227	288/1	2.250
155/11	0.121	288/2	0.081
155/12	0.146	288/3	0.162
156	0.939	288/4	0.279
157/1	0.202	288/5	0.202
157/2	0.291	288/6	0.202
157/3	0.316	290	0.178
157/4	0.040	291/1	0.125
157/5	0.526	291/2	0.162
157/6	0.113	291/3	0.206
157/7	0.089	291/4	0.125
157/8	0.040	291/5	0.174
157/9	0.146	291/6	0.324
158/1	1.295	291/7	0.170
158/2	0.162	291/8	0.405
159/1	1.570	292	1.611
159/2	0.020	293	0.291
161/1	0.125	294/1	0.210
161/2	0.125	294/2	0.077
162/1	0.405	294/3	0.194
162/2	0.206	294/4	0.061
162/3	0.210	294/5	0.117
163/1	0.178	294/6	0.190
163/2	0.105	294/7	0.206
163/3	0.121	294/8	0.251
163/4	0.295	294/9	0.283
163/5	0.210	294/10	0.202
163/6	0.089	295/1	0.425
163/7	0.178	295/2	0.526
163/8	0.105	295/3	0.384
163/9	0.182	295/4	0.190
163/10	0.178	295/5	0.567
163/11	0.097	295/6	0.324
163/12	0.202	295/7	0.405
163/13	0.384	295/8	0.332
163/14	0.202	295/9	0.121
280/1	0.223	295/10	0.202
280/2	0.263	295/11	0.202
280/3	0.324	295/12	0.405
280/4	0.194	295/13	0.324
280/5	0.526	295/14	0.405
280/6	0.291	295/15	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
295/16	0.364	304/18	0.219
295/17	0.283	304/19	0.178
295/18	0.170	304/20	0.053
295/19	0.194	304/21	0.125
295/20	0.089	304/22	0.182
295/21	0.174	304/23	0.202
295/22	0.081	304/24	0.162
296/1	0.142	304/25	0.546
296/2	0.024	304/26	0.162
296/3	0.142	305/1	0.138
296/4	0.117	305/2	0.227
296/6	0.138	305/3	0.162
297	0.684	306/2	0.032
299/1	0.243	306/3	0.150
299/2	0.081	306/4	0.150
299/3	0.053	306/5	0.113
299/4	0.053	306/6	0.150
299/5	0.053	307/1	0.259
300/1	0.138	307/2	0.255
300/2, 300/3	0.267	308	0.162
301	0.332	309	0.186
302/1	0.101	310	1.206
302/2	0.101	311/1	0.312
302/3	0.219	312/2	0.170
302/4	0.324	313	0.287
302/5	0.081	314/1	0.421
302/6	0.081	314/2	0.117
302/7	0.255	315	0.081
303	0.368	316	0.469
304/1	0.113	317/1	0.223
304/2	0.162	317/2	0.182
304/3	0.178	318	0.097
304/4	0.008	319	0.113
304/5	0.210	320	0.210
304/6	0.012	321/1	0.085
304/7	0.239	321/2	0.085
304/8	0.388	322	0.283
304/9	0.202	323/1	0.255
304/10	0.259	323/2	0.049
304/11	0.291	323/3	0.405
304/12	0.518	324/1	0.502
304/13	0.352	324/2	0.093
304/14	0.231	325	0.308
304/15	0.231	326/1	0.563
304/16	0.109	326/2	0.138
304/17	0.255	326/3	0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
326/4	0.134	337/2	0.028
327/1	0.324	337/3	0.109
327/2	0.089	337/4	0.202
327/4	0.182	337/5	0.202
327/5	0.291	337/6	0.081
327/6	0.174	337/7	0.093
327/7	0.170	337/8	0.081
328/1	0.854	337/9	0.073
328/2	0.053	338	3.254
328/3	0.223	339/1	0.134
328/4	0.032	339/2	0.085
329/1	0.409	339/3	0.121
329/2	0.069	339/4	0.057
329/3	0.469	339/5	0.129
329/4	0.538	339/6	0.117
330/1	0.186	340/1	2.464
330/2	0.154	340/2	0.202
331/1	1.153	340/3	0.202
331/2	0.579	340/4	0.324
331/3	0.579	348	4.634
332/1	0.316	349/1	0.101
332/2	0.129	349/2	0.142
333/1	0.469	349/3	0.202
333/2	0.089	350	0.465
333/3	0.182	351	0.360
333/4	0.190	352/1	0.202
333/5	0.174	352/2	0.202
334/1	0.150	352/3	0.142
334/2	0.129	354/2	0.324
334/3	0.117	354/3	0.344
334/4	0.174	354/4	0.304
334/5	0.181	354/6	0.061
334/6	0.093	354/7	0.061
334/7	0.162	354/8	0.202
335/1	0.121	354/10	0.360
335/2	0.607	354/11	0.231
335/3	0.162	354/12	0.182
335/4	0.607	354/13	0.121
335/5	0.170	355/1	0.105
335/6	0.202	355/2	0.097
336/1	0.109	356	0.947
336/2	0.214	357/1	0.364
336/3	0.202	357/2	0.008
336/4	0.069	358/1	0.854
336/5	0.121	358/2	0.121
337/1	0.202	359/2	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
359/3	0.194	369/3	0.065
360	0.150	369/4	0.162
361/1	0.061	369/5	0.178
361/2	0.061	369/6	0.065
361/3	0.538	370/1	0.558
361/4	0.514	370/2	0.121
361/5	0.336	370/3	0.202
361/6	0.121	370/4	0.259
361/7	0.077	371	0.526
361/8	0.178	372	1.125
361/9	0.125	373	0.275
361/10	0.154	374/1	0.344
361/11	0.138	374/2	0.263
362/2	0.085	375/1	0.057
362/4	0.024	375/2	0.202
362/5	0.142	376/2	0.202
362/6	0.142	376/3	0.405
362/7	0.142	376/4	0.134
362/9	0.113	377	0.672
362/10	0.069	378/1	1.566
362/11	0.069	378/2	0.255
362/12	0.069	378/3	0.405
362/13	0.243	379	0.089
362/14	0.162	380	0.049
362/16	0.170	381/1	0.858
362/17	0.081	381/2	0.202
362/18	0.053	381/3	0.162
363/1	0.862	382/1	0.550
363/2	0.324	382/2	0.546
364/1	0.186	382/3	0.546
364/2	0.417	383/1	0.129
364/3	0.089	383/2	0.316
364/4	0.291	383/3	0.255
364/5	0.085	383/4	0.202
364/6	0.065	383/5	0.061
365/1	0.214	383/6	0.324
365/2	0.069	383/7	0.202
366/1	0.146	383/8	0.049
366/2	0.198	383/9	0.142
367/1	0.336	383/10	0.061
367/2	0.190	384/1	0.563
368/1	0.227	384/2	0.558
368/2	0.129	385	1.032
368/3	0.243	386	1.036
369/1	0.109	387/1	0.231
369/2	0.368	387/2	0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
388	0.425	408/2	0.166
389/2	0.235	408/3	0.214
390/1	0.004	408/4	0.016
390/2	0.304	409/1	0.129
390/3	0.101	409/2	0.129
391/3	0.049	410	0.328
392/1	0.077	411/1	0.194
392/2	0.162	411/2	0.170
392/3	0.085	411/3	0.129
392/4	0.069	412/2	0.121
392/5	0.170	412/3	0.121
393/1	1.210	412/4	0.235
393/2	0.061	413/1	0.069
393/3	0.049	413/2	0.154
393/4	0.291	413/3	0.146
393/5	0.162	413/4	0.405
393/6	0.142	413/5	0.069
394/1	0.263	414	0.186
394/2	0.567	415	0.316
394/3	0.235	416	0.170
394/4	0.166	417	0.024
394/5	0.182	418	0.567
394/6	0.150	419/1	0.368
395/1	0.117	419/2	0.178
395/2	0.214	420	0.219
396	0.405	421	0.186
397/1	0.664	422/1	0.146
397/2	0.134	422/2	0.073
398/1	0.405	423	0.935
398/2	0.134	424/1	0.138
398/3	0.344	424/2	0.194
398/4	0.324	425/1	0.146
399/1	0.449	425/2	0.194
399/2	0.210	425/3	0.121
399/3	0.202	425/4	0.146
399/4	0.409	425/5	0.146
400	0.227	426	0.129
401	0.235	427	0.227
402	0.571	428/1	0.174
403/1	0.753	428/2	0.081
403/2	0.121	428/3	0.093
404	0.243	429	0.081
405	1.720	430	0.061
406/1	0.146	431/1	0.004
406/6	0.109	431/2	0.032
406/7	0.178	431/3	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
432/1	0.174	454/3	0.769
432/2	0.134	454/4	0.170
432/3	0.093	454/5	0.202
433	0.457	454/6	0.219
434/1	0.967	454/7	0.121
434/2	0.813	454/8	0.210
434/3	0.154	454/9	0.121
434/4	0.243	454/10	0.134
434/5	0.405	454/11	0.166
434/6	0.134	455/1	0.295
435	0.146	455/2	0.182
436	0.146	455/3	0.227
437/1	0.134	455/4	0.283
438	0.275	455/5	0.283
439/1	0.040	455/6	0.028
439/2	0.040	455/7	0.085
439/3	0.040	456/1	0.125
439/4	0.040	456/2	0.097
439/5	0.040	456/3	0.097
440/1	0.121	457/1	0.113
440/2	0.227	457/2	0.057
440/3	0.028	457/3	0.073
440/4	0.032	457/4	0.142
440/5	0.028	458/1	0.773
441	0.170	458/2	0.380
442/2	0.069	459/1	0.186
444	0.283	459/2	0.202
445	0.227	459/3	0.061
446/1	0.085	460	0.040
446/2	0.085	461	0.178
446/3	0.093	462	0.219
447/1	0.271	463	0.138
447/2	0.069	464	0.409
447/3	0.093	465/1	0.202
447/4	0.202	465/2	0.154
447/5	0.089	465/3	0.162
447/6	0.089	465/4	0.162
448/1	0.413	465/5	0.081
448/2	0.101	465/6	0.040
449	0.061	476/1	0.174
450	0.223	476/2	0.202
451	0.113	476/3	0.202
452/2	0.129	476/6	0.138
452/3	0.134	477	0.340
453	0.121	478/1	0.117
454/2	0.150	478/2	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
478/3	0.405	1364/2	0.251
478/4	0.243	1364/3	0.129
478/5	0.299	1364/4	0.316
478/6	0.324	1365	0.469
478/7	0.275	1366	0.558
478/8	0.826	1384/1	0.615
478/9	0.830	1384/2	0.202
480/1	1.801	1384/3	0.202
480/2	0.243	1385	1.008
480/3	0.320	1386	0.324
480/4	0.061	1387	0.295
480/5	0.490	1388	2.157
480/6	0.372	1389	0.627
480/7	0.146	1390/1	0.150
1352	1.991	1390/2	0.073
1353/1	0.595	1391/1	0.688
1357/1	0.405	1391/3	0.263
1357/2	0.405	1391/4	0.182
1357/3	0.210	1391/5	0.405
1357/4	0.308	1391/6	0.045
1357/5	0.227	1391/7	0.178
1357/6	0.324	1391/8	0.178
1357/7	0.162	1392	0.376
1357/8	0.065	1393/1	0.121
1357/9	0.777	1393/2	1.424
1357/10	1.117	1393/3	0.251
1357/11	0.473	1394	0.461
1357/12	0.647	1395/1	0.073
1357/13	0.372	1395/2	0.498
1357/14	0.429	1395/3	0.433
1357/15	0.121	1396	0.231
1357/16	0.073	1397/1	0.142
1358/1	0.526	1397/2	0.142
1358/2	0.162	1398	0.898
1359	0.971	1399	0.773
1360	0.235	1400	0.032
1361/1	0.219	1401	0.567
1361/2	0.243	1402	0.069
1361/3	0.546	1403	0.221
1361/4	0.328	1404	0.235
1362/1	0.142	1405	0.324
1362/2	0.077	1406	0.235
1363/1	0.405	1407	0.081
1363/2	0.162	1408	0.028
1363/3	0.243	1409	0.154
1364/1	0.267	1410	0.210

(1)	(2)
1411	0.113
1412	0.109
1413/1	0.308
1413/2	0.154
1414	0.085
1415	0.093
1416	0.170
1417/1	0.113
1417/2	0.117
1419	0.243
1420/1	0.194
1420/2	0.198
1421	0.299
1422	0.227
1423	0.223
1424	0.061
1425	0.077
1426	0.324
1427	0.053
1428	0.069
1429	0.040
1430	0.113
1431/2	0.170
1431/3	0.247
1431/4	0.340
1432	0.437
1434/1	0.283
1434/2	0.283
1435	0.817
1436	0.473
1437	0.243
1438/1	0.498
1438/2	0.057
1439	0.405
1440	1.995
1493	1.886
योग 724	201.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-उमेश्वरपुर, प. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
363	0.17
502	0.06
503	0.16
504	0.14
59	0.56
634/1	0.20
395	0.01
396	0.03
636	0.41
78	0.15
87	0.12
88	0.12
506	0.02
454	0.04
419	0.49
58	0.02
121	0.07
398	0.57
561	0.64
505	0.11
529	).29

(1)	(2)
558	0.22
420	0.03
417	0.11
560	0.40
364	0.17
80/1	0.02
365/2	0.17
397	0.01
556/2	0.02
406	0.07
492/2	0.03
508/2	0.03
511/2	0.31
564	0.14
80/2	0.29
634/2	0.11
563	0.26
556/1	0.07
120	0.47
404	0.57
550	0.19
528	0.01
509	0.29
60	0.26
85	0.05
86	0.23
61	0.08
119	0.58
472	0.22
473	0.37
635	0.14
562	0.86
366	0.55
549	0.10
475	0.23
501/2	0.04
415	0.11
478/1	0.24
559/1	0.17
89/2	0.02
476	0.16
403	0.45
451	0.02
460	0.01
461	0.07
557/1	0.07
507	0.05
365/1	0.10
574	0.01
557/2	0.08
510	0.02
89/1	0.01
62/1	0.01
416/2	0.08
553	0.37
559/2	0.27
554	0.29
416/1	0.07
79	0.26
77	0.06
399	0.06
555	0.21
492/1	0.03
508/1	0.04
511/1	0.32
योग 86	15.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2010-11.—चूंकिं राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-तारकेश्वरपुर, प. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1370	0.25
1301	0.18
1317	0.01
1320	0.25
1321	0.48
1203	0.47
1206/2	0.02
1208	0.01
774	0.08
976	0.35
1299	0.02
1186	0.27
1204	0.17
973	0.07
1196	0.09
1201	0.35
1322	0.80
1319	0.01
1189	0.26
1200	0.09
959	0.41
1206/1	0.23
1212/2	0.04
773	0.08
801	0.07
957	0.10
977	0.20
981	0.25
800/1	0.05
1202	0.27
1300	0.15
1364	0.33
1365	0.20
961	0.17
1187	0.17
960	0.12
972	0.14
1199	0.03
1007/1	0.28
1007/2	0.02
798/1	0.47
798/4	0.27
799/2	0.02
799/5	0.08
777	0.06
1205	0.02
1022	0.27
975/2	0.06
956	0.06
985/1	0.07
799/4	0.04
1207	0.08
993	0.20
980	0.20
1021	0.12
1188	0.26
800/2	0.12
778	0.34
1019	0.06
797/2	0.02
798/2	0.18
798/3	0.11
798/5	0.03
799/3	0.02
978	0.12
979	0.20
1020	0.27
958	0.74
1003	0.55
1023	0.03
1024	0.08
995	0.40
958/2	0.09
1366	0.27
1367	0.01
1368	0.40
994	0.14
योग 77	14.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतल, प. ह. नं. 80
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.91 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	571	0.42
	572	0.20
	629	0.09
	643	0.14
	641/2	0.13
	564	0.15
	544	0.33
	631	0.48
	640	0.03
	566	0.18
	634	0.27
	568	0.08
	626	0.10
	565	0.04
	627	0.12
	573	0.16
	642	0.10
	538	0.07
	544/929/2	0.40
	544/929/3	0.10
	641/1	0.13
	567	0.16
	544/929/1	0.02
	544/929/4	0.01
योग	24	3.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-श्यामपुर, प. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
802	0.03
803	0.33
805	0.08
806	0.26
775	0.21
799	0.18
804	0.11
764	0.01
751	0.23
767/1	0.02
777	0.23
774	0.17
1138	0.13

(1)	(2)
1136	0.22
1130	0.10
737	0.45
754	0.06
755	0.07
756	0.15
761	0.19
762	0.07
763	0.12
810	0.03
790	0.15
735	0.01
794	0.10
797	0.08
798	0.14
776	0.19
771	0.22
791	0.36
734	0.01
736	0.28
1131	0.28
807	0.24
800	0.10
787	0.15
1119/2	0.04
750	0.04
1083/1198	0.86
1196/1240	0.04
802/1197	0.36
739/1163	0.18
1082/1199	0.70
1085/1200	0.35
योग 45	8.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसकें लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेंमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-जयपुर, प. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180	0.11
181/1	0.15
176	0.01
योग 3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-दवना, प. ह. नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1941	0.15
1671/1	0.04
1645	0.20
1662/3	0.03
1969/1	1.30
1677	0.40
205	0.18
188	0.26
680	0.09
1636	0.27
692	0.57
248	0.01
693	0.16
669	0.02
685	0.27
1638	0.09
1667	0.23
1678	0.10
1963	0.24
674/1	0.03
679	0.12
1671/2	0.04
1942	0.01
1666	0.27
1971/1	0.24
170/2	0.17
683	0.20
1575	0.01
1590	0.01
1646/2	0.10
1637	1.48
1671/3	0.03
1676/1	0.02
1971/2	0.21
1669	0.18
1675	0.47
675/1	0.01
171/2	0.16
171/1	0.06
675/3	0.15
676	0.06
682	0.35
1577	0.58
687/1	0.21
1970	0.06
185	0.11
1969/2	0.25
170/1	0.36
1673	0.05
1668	0.18
204/1	0.21
670	0.24
694	0.05
686/1	0.32
677	0.19
187	0.26
1644	0.18
690/1	0.01
200	0.03
675/2	0.09
681	0.03
1639	0.12
1672/1	0.03
1580	0.12
1596	0.01
1584	0.01
627	0.02
1576	0.38
666	0.01
1679	0.15
686/2	0.10
678	0.06
186/2	0.19
186/1	0.02
1971/3	0.10
1587	0.13
1581	0.07
1585	0.57
1579	0.14
1583	0.03
1635	0.10
1586	0.08

	(1)	(2)
	1588	0.14
	1578	0.06
	1643	0.13
	170/3	0.15
	1674/1	0.06
	684/1	0.27
	684/2	0.01
	190	0.22
	249	0.08
	629	0.04
	189	0.40
	247	0.05
	1672/2	0.04
	204/3	0.26
	668	0.03
	171/3	0.15
योग	98	16.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क./10/अ-82/2010 11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-वृन्दावन, प. ह. नं. 75
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436/2	0.01
252	0.02
260	0.41
554/1	0.45
634/4	0.27
447/2	0.01
442	0.06
249	0.16
465	0.01
202	2.50
221	0.09
222	0.03
407	0.01
201/1	0.30
450	0.02
416	0.03
418	0.13
420	0.06
414	0.01
210	0.04
250	0.29
259	0.02
632	0.14
590	0.64
423	0.34
214	0.42
216	0.12
460	0.03
583	0.28
213	0.58
263	0.14
192	0.36
588	0.44
203	0.03
569	0.02
589	0.05
218	0.08
530	0.10
622	0.49
630	0.37
193	0.09
194	0.11
195	0.35
566	0.28

(1)	(2)
215	0.19
471	0.06
255	0.04
634/1	0.18
577	0.12
578	0.14
579	0.13
584	0.15
424	0.12
494	0.01
189	0.94
258	0.50
464	0.16
633	0.24
606	0.12
608	0.10
591	0.01
461	0.20
605	0.12
634/2	0.18
462	0.09
256	0.25
558/2	0.01
421	0.49
554/2	0.07
634/3	0.18
422	0.18
योग 71	15.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली, प. ह. नं. 68
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1225	0.12
1247	0.60
1279/1	0.07
1280	0.20
1242	0.10
1240	0.15
1228	0.11
1241	0.11
1224	0.03
1246	0.10
1278	0.03
1226	0.38
1245/1	0.06
1245/2	0.19
1227	0.04
योग 15	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-सूरता, प. ह. नं. 67

(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1609	0.35
1943	0.09
503	0.11
1187	0.11
1941	0.14
1692	0.01
1573	0.21
107	0.13
161	0.09
1578	0.21
1919	0.18
1412	0.01
1411	0.13
1572/1	0.02
1572/6	0.05
1581/2	0.01
223	0.11
364	0.09
195/2	0.13
1572/4	0.06
1427/1	0.16
1431/2	0.03
196	0.09
1177	0.62
1415	0.14
1409	0.15
1430	0.01
195/1	0.05
110	0.06
227	0.06
367	0.20
1426/1	0.14
194	0.21
1572/3	0.03
1572/5	0.05
362	0.08
1571	0.13
501	0.30
1577	0.17
1437	0.11
502	0.21
1922	0.24
1923	0.04
1938	0.05
197	0.09
352	0.16
1589	0.11
1575	0.08
1585	0.28
1426/2	0.14
1185	0.05
1579	0.05
1427/2	0.05
1431/1	0.02
1583	0.41
1436	0.17
1942/1	0.08
1178	0.29
108	0.24
1924	0.22
1397	0.03
1920	0.02
1921	0.27
1424	0.03
1414	0.21
1402/1	0.22
1584	0.16
1586	0.16
1608	0.07
1199	0.35
1410	0.14
1176	0.10
1184	0.09
1201	0.56
224	0.09
237	0.06
238	0.12
102	0.15
363	0.28
1188	0.47
1398	0.05

(1)	(2)
1425	0.16
1400	0.41
1402/2	0.12
505	0.03
1422	0.03
1675	0.07
1693	0.08
1928	0.34
1434	0.17
1587	0.02
193	0.38
1404	0.03
1580	0.56
1189	0.31
236	0.15
239	0.06
240	0.02
1413	0.10
1428	0.16
1435	0.27
1401	0.21
226	0.19
1942/2	0.08
365	0.16
234	0.31
1197	0.10
162	0.19
2139	1.49
2187	0.55
2147	0.33
2136	0.05
2141	0.55
2188	0.01
2149	0.15
2150	0.10
2168	0.43
2135	0.07
2154	0.05
2159	0.12
2152	1.07
2175	0.25
2140	0.04
2177	0.33
2156	0.06
2148	0.22
2169	0.59
2174	0.28
2163	0.39
2172	0.03
2145	0.17
2159	0.10
2155	0.42
2143	0.47
2180	0.24
2171	0.09
2142/2	0.23
2144/2	0.05
2153	0.33
2151	0.12
2170	0.10
2146	0.09
2144/1	0.06
2158	0.19
योग 144	26.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-शिवनगर, प. ह. नं. 81
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/2	0.08
52/1	0.15
50	0.39
62/1	0.24
62/3	0.30
30	0.22
40	0.06
43	0.01
62/4	0.20
52/4	0.10
28/1	0.16
41	0.12
32	0.02
39	0.20
33	0.03
38	0.05
42	0.05
62/2	0.35
52/3	0.44
31	0.24
योग 20	3.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-अक्षयपुर, प. ह. नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
649/1	0.25
672	0.03
673	0.13
803/3	0.28
650	0.07
668	0.20
667/2	0.20
813	0.05
804/1	0.03
807	0.05
810	0.03
815	0.20
816	0.20
645	0.02
646	0.14
647	0.02
817/2	0.06
806	0.15
817/3	0.06
811	0.05
812	0.06
671	0.20
684	0.01
805/1	0.09
670	0.20
666	0.14
817/1	0.10
योग 27	3.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-सरगुजा
  (ख) तहसील-रामानुजनगर
  (ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर, प. ह. नं. 67
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155	0.01
162	0.17
146	0.10
147	0.10
150	0.23
151	0.20
177	0.50
1167	0.38
154/2	0.11
1204/2	0.09
1205	0.45
1163	0.44
1209	0.43
169	0.17
171	0.08
336	0.17
323	0.01
1162	0.12
1199	0.02
172	0.28
1164	0.13
1166	0.18
319	0.25
335	0.25
339	0.05
181	0.29
342	0.05
1195	0.14
1196	0.32
1206	0.31
154/1	0.11
1204/1	0.02
267	0.01
153	0.49
1203	0.13
265	0.16
159	0.21
160	0.24
161	0.22
175/2	0.21
174	0.29
166	0.28
173	0.06
1165	0.12
340	0.24
156	0.09
158	0.18
148	0.29
152	0.24
263	0.44
176	0.26
175/1	0.20
164	0.15
163	0.13
149	0.05
329	0.26
332/1	0.12
332/2	0.10
262	0.20
3	0.02
5	0.01
178	0.21
1212	0.39
266	0.02
327	0.02
330	0.26
333	0.06
264	0.82
168	0.19
334	0.50
341	0.08
320	0.17
321	0.22
170	0.37
1220	0.02

	(1)	(2)
	214	0.14
	328	0.42
	1198	0.16
योग	78	15.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-सरईपारा, प. ह. नं. 69

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	405/2	0.01
	649	0.38
	650	0.07
	654	0.01
	740	0.01
	403	0.13
	723	0.10
	404	0.47
	597/1	0.17
	610/1	0.12
	665/14	0.24
	606	0.02
	653	0.03
	739	0.08
	665/13	0.09
	726	0.11
	724/4	0.02
	665/15	0.03
	610/2	0.03
	743	0.10
	747	0.08
	745/2	0.17
	746	0.15
	665/11	0.15
	719	0.02
	651/2	0.20
	665/12	0.07
	745/1	0.03
	603	0.10
	602	0.16
	605	0.41
	607	0.01
	604/2	0.20
	737	0.37
	738	0.09
	724/1	0.20
	724/2	0.03
	724/5	0.08
	598	0.40
	748	0.01
	408/1	0.53
	722	0.04
	664	0.06
	725	0.16
	651/1	0.31
	407/1	0.06
	407/2	0.05
योग	47	6.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डाड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.946 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1087	0.012
1106/2	0.032
955	0.032
1044/1	0.012
884/1	0.032
1041/8	0.008
1224	0.004
1012/3	0.024
1076	0.198
1026	0.065
1104/1	0.004
1085	0.105
1123	0.008
1027	0.008
959/2	0.012
881/1	0.036
260	0.049
962	0.016
514/7	0.066
1044/3	0.028
1095/1	0.089
1106/1	0.032
956/1	0.036
966/4	0.016
940/1	0.061
1136/1	0.008
1012/2	0.024
266	0.101
1081	0.028
967	0.012
631/1	0.032
1015	0.008
1124	0.008
1107	0.012
996	0.077
884/2	0.036
1006	0.032
545/2	0.049
878/2	0.125
1097	0.016
1010/1	0.057
956/2	0.016
1147/1	0.040
883/3	0.016
1138/1	0.008
1012/1	0.024
544/4	0.016
1093/1	0.024
968	0.020
635/1	0.040
1017	0.053
1121	0.020
880	0.045
997	0.028
940/3	0.036
630/1	0.036
545/1	0.017
567	0.081
1098	0.004
946	0.040
1044/2	0.045
1148/1	0.008
1041/5	0.010
1150	0.008
1020	0.041
971/1	0.049
566/1	0.032
969	0.012
635/2	0.057
1018	0.020
1034	0.053
1031/2	0.024
565	0.032
1001/1	0.073

(1)	(2)
676/5	0.004
545/3	0.016
265	0.036
1134	0.024
947	0.004
1046/1	0.028
1147/2	0.040
1041/6	0.008
1138/2	0.024
1013	0.056
972	0.032
1140	0.004
267	0.089
636/1	0.032
1120/1	0.020
514/6	0.061
247/1	0.032
879/1	0.008
562	0.024
543	0.138
545/4	0.016
563	0.044
1135	0.008
945	0.032
1046/2	-0.004
883/2	0.016
1041/7	0.008
637/1	0.016
1014	0.008
268	0.040
1001/2	0.065
1103	0.012
635/3	0.020
1122	0.069
1021	0.032
254	0.146
879/2	0.008
629	0.016
958	0.028
1032/1	0.008
631/3	0.032
योग	3.946

(2) सार्वजनिक प्रयोज़न जिसके लिए आवश्यकता है-डांड़गांव जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.666 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/1	0.065
23/5	0.053
32/1	0.056
29/2	0.040
14	0.073
24/2	0.096
33/1	0.008
22/2	0.065
27	0.040
31	0.024
30	0.049

(1)	(2)
32/2	0.056
26	0.041
योग	0.666

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलबा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनन्जय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 13 जून 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जाटम, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108	0.08
	145	0.02
योग	2	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-डोंगाम जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक/कले./वाचक/2011/866.—श्री धनेश नायक, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत सरायपाली द्वारा उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र हेतु दिनांक 06-06-2011 को प्रस्तुत सूचना पत्र का वास्तविक होने का समाधान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 37 (III) के तहत श्री धनेश नायक का जनपद पंचायत सरायपाली के उपाध्यक्ष पद से दिया गया त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

अलरमेल मंगई डी.,
विहित प्राधिकारी एवं कलेक्टर.